नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2010 से 03/2013

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर के अवधि 4/10 से 3/13 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर पंचायत में कर्यरत्त प्रधान तथा सचिव निम्नानुसार थेः–

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती गीता देवी	1.4.2010 से 23.1.2011
2	श्रीमती सर्वजीत कौंर	24.1.2011 से 31.3.2013

सचिव

1	श्री वी0के0 शर्मा	1.4.2010 से 31.3.2012
2	श्री आर0के0 शर्मा	1.4.2012 से 31.3.2013

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	वसूल की गई आय को बैंक खाते में जमा न करवाना	5 (क)	3.35
2	वसूल की गई आय को बैंक खाते में जमा न करवाना	5 (ख)	0.027
3	गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि	6	12.14
4	दुकानों/रेहड़ी के किराये की राशि वसूली योग्य शेष	7	3.14
5	दुकानों के अनुबन्धों का नवीनीकरण न करने के कारण वित्तीय हानि	8	0.29
6	आय कर व बिक्री कर की राशि सरकारी कोष में जमा न करना	11	0.11
7	संविदाकारों के बिलों से आयकर की कटौती न करना	12	0.35
8	संविदाकारों को अधिक भुगतान	14	0.19

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट ट"** पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

(क) नगर पंचायत भोटा जिला हमीरपुर का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.6.2013 से 10.7.2013 तक भोटा में किया गया जिस के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे वर्णित है। आय व व्यय की विस्तृत जाँच करने हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
21010–11	आय पक्ष की विस्तृत जांच की गई	5/2010
2011–12		7/2011
2012–13		12/2012

3 अंकेक्षण शुल्कः–

अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹23400/– किया गया। उपरोक्त राशि को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 66 दिनांक 10.7.2013 के द्वारा सचिव, नगर पंचायत भोटा को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009'' के नाम भेजने का अनुरोध किया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) नगर पंचायत भोटा की अवधि 4/10 से 3/2013 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क, ख, ग"** पर दी गई है।

वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष के दौरान अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय	अनुदान से प्राप्त आय	कुल राशि	वर्ष के दौरान अपने स्त्रोतों से किया गया व्यय	अनुदान राशियों से किया गया व्यय	कुल व्यय	अन्तशेष
2010–11	3194414	444500	2739002	6377916	5906	2385722	2391628	3986288
2011–12	3986288	530689	2723782	7240759	57377	3315928	3373305	3867454
2012–13	3867454	609009	4218477	8694940	1299756	4708468	6008224	2686716

(ख)	दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही का अन्तिम शेष	2686716
	(+) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज जो दिनांक 31.3.2013 तक रोकड़ वही में जमा नहीं था	40373
	(+) ₹6480/– चैक संख्या 23351 दिनांक 10.1.2012 के द्वारा बैंक से निकाले गये लेकिन रोकड़ वही में भुगतान ₹6720 का दर्शाया गया (6720–6480=₹240)	240
	(+) ₹34475/– चैक संख्या 531419 दिनांक 7.4.10 के द्वारा बैंक से निकाले गये मगर रोकड़ वही में भुगतान ₹37475 का दर्शाया गया (37475–34475=₹3000)	3000
	(–) बैंक प्रभार जो रोकड़ वही में दर्ज नहीं किये गये	720
	(–) दिनांक 5.10.2012 को ₹16885/– चैक संख्या 253368 के द्वारा बैंक से निकाली गई राशि में से केवल ₹3365/– का भुगतान बतौर आयकर जमा करवाए गये तथा शेष राशि ₹16885–3365=₹13520 से सम्बन्धित न तो कोई बिल/वाउचर प्रस्तुत किया ओर न ही रोकड़ वही में खर्च दर्शाया गया है	13520
	(–) दिनांक 31.3.2013 को अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय जो 31.3.2013 तक बैंक में जमा नहीं की गई थी	150
	दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही का वास्तविक अन्तिम शेष	2715939
	दिनांक 31.3.2013 कौ बैंक खातों में जमा राशि	2229108.83

अन्तर	486830.17
(–) अवधि 4/10 से 3/2013 तक अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय जो रोकड़ वही में दर्ज थी लेकिन बैंक खातों में 31.3.2013 तक जमा न करवाकर दुर्विनियोजन किया गया। विवरण **परिशिष्ट (घ, ङ व च)** में संलग्न है।	335630
रोकड़ वही व बैंक खातों में पाया गया अन्तर यह अन्तर गत कई वर्षो से चल रहा है जिसका मिलान अभी तक नहीं किया गया इस सन्दर्भ गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 5 में भी आपत्ति उठाई गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है रोकड़ वही में प्राप्त आय का मिलान बैंक खातों के साथ शीध्र किया जाए यदि यह राशि दुर्विनियोजन की गई पाई गई तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी से ₹151200.17 की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाई जाएं।	151200.17

5 ₹335630/– राशि के दुर्विनियोजनः–

(क) नगर पंचायत भोटा के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2013 तक आय पक्ष की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय को रोकड़ वही में दर्ज तो कर लिया था लेकिन उपरोक्त राशि को बेंक में जमा न करवाकर इस राशि का दुर्विनियोजन किया प्रतीत होता है जो एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ, ङ व च"** पर दिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60 दिनांक 28.6.2013 के द्वारा सचिव नगर पंचायत भोटा से उक्त राशि के पंचायत बैंक खातों में जमा होने के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। मगर अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो इस राशि के बैंक खातों में जमा होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और न ही अंकेक्षण पर इस राशि को दोषी से वसूल कर नगर पंचायत निधियों में जमा करवाया गया। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है व उक्त राशि को उचित स्त्रोत से दण्ड ब्याज सहित वसूल कर नगर पंचायत खाते में अभिलम्ब जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹2700/– प्राप्त आय जमा न करनाः–

रोकड़ वही व रसीद बुकों की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय के रूप में ₹2700/– की वसूली निम्नलिखित रसीद संख्या के तहत की गई थी लेकिन यह राशि न तो रोकड़ वही में दर्ज की गई ओर न ही इस राशि को बैंक खातों में जमा करवाया गया जिस के परिणाम स्वरूप इस राशि का गबन किया गया प्रतीत होता है।

क्र0सं0	अवधि	जी–8 सं0	जितनी राशि प्राप्त की गई	रोकड़ वही में दर्ज राशि	रोकड़ वही में कम दर्शायी गई राशि
1	2010–11 से 2012–13 तक	53/1 से 53/50 तक	₹2650	–	₹2650
2	2010–11 से 2012–13 तक	55/1 से 55/31 तक	₹1950	1900	₹50
				योग	**₹2700**

उपरोक्त राशि को नगर परिषद खाते में जमा न करवाने का औचित्य किया जाए। अतः इस राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके नगर पंचायत खातों में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 ₹1214774/– गृहकर की राशि वसूल न करनाः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन मे संलग्न **परिशिष्ट "छ"** में संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार ₹1214774/– बतौर गृहकर के रूप मे दिनांक 31.3.2013 को वसूली हेतु शेष थी। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा इस मद से प्राप्ति योग्य आय की वसूली को गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप बकाया राशि में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हुई है जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 (ए) 1/87–9237–9284, दिनांक 20.6.2001 में करों की वसूली शत/प्रतिशत करने के निर्देश जारी किये गये थे लेकिन निर्देशों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि हिमाचल

प्रदेश नगर अधिनियम 1994 की धारा 86 व 87 के अनुसार शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा की गई कार्यवाही से इस निदेशालय को अवगत करवाया जाए।

7 दुकान/भवन किराये व रेहड़ी शुल्क ₹314012/– की शेष वसूली न करनाः–

दिनांक 31.3.2013 को दुकानों भवनों के किराये व रेहड़ी शुल्क के रूप में ₹314012/– की राशि वसूली योग्य शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ज व ड"** में दिया गया है तथा संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	दुकान/भवन का किराया	₹171812
2	रेहड़ी शुल्क	₹142200
		₹314012

संस्था प्रशासन द्वारा किराये की वसूली सम्बन्धित कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया गया जिसके कारण प्रशासन की लापरवाही साफ परिलक्षित होती है। निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 (ए) 1/87–9237–9284 दिनांक 20.6.11 में करों/किराये की वसूली शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये थे जिसकी अनुपालना न करते हुए स्थिति और बिगड़ती जा रही है। अतः किराये के रूप में बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस निदेशालय को अवगत करवाया जाए।

8 दुकानों के किराये से सम्बन्धित अनुबन्धों का नवीनीकरण न करवाने के परिणामस्वरूप ₹29208/– किराये के रूप में वित्तीय हानिः–

विभिन्न दुकानों को किराये पर दिये गये किराया अनुबन्ध में यह शर्त लगाई गई थी कि अनुबन्ध की तिथि से अगले पॉच वर्ष के बाद दुकानों के किराये में 10**%** की बढ़ौतरी की जायेगी लेकिन नगर पंचायत द्वारा उक्त शर्तों को लागू नहीं किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप कम किराये के रूप में ₹29208/– की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	किरायेदारों का नाम	अनुबन्ध की तिथि	किराया जो प्रतिमाह लिया गया	किराया बढ़ाने की तिथि	किराया जो प्रतिमाह लिया जाना चाहिये था	कम किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि
1	श्री ज्ञान चन्द	1.6.04	462	1.6.09	508	46X46=2116
2	श्री प्रवीण कुमार	1.6.04	440	1.6.09	484	46X44=2024
3	श्री अजय कुमार	1.6.04	440	1.6.09	484	46X44=2024
4	श्री राकेश कुमार	1.6.04	440	1.6.09	484	46X44=2024
5	श्री राकेश कुमार	1.9.04	1100	1.9.09	1210	41X110=4510
6	बी0एस0एन0एल	27.5.05	3300	1.6.10	3630	34X330=11220
7	प्राईवेट स्कूल	1.6.04	1150	1.6.09	1265	46X115=5290
8	श्री सुरजीत	1.1.03	640	1.1.08	704	(without Agrrement)
	कुल जितनी राशि की किराये की हुई वित्तीय हानि					**₹29208**

अतः किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये जिम्मेवारी निर्धारित की जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से वसूल करके खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 भविष्य निधि खाते में ₹387/– का अधिक अंशदानः–

श्री बिहारी लाल मिस्त्री के पक्ष में भविष्य निधि खाते में अवधि 1.12.2009 से 31.8.210 तक ₹1097/– प्रति माह भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार निम्न विवरणानुसार ₹1054/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

1.12.2009 को मूल वेतन	8300
मंहगाई भत्ते की दर 27**%**	2241
कुल मूल वेतन	10541
मूल वेतन पर देय अंशदान की दर 10**%** के हिसाब से देय राशि	1054
1.12.2009 से दिया गया अंशदान प्रतिमाह	1097
प्रतिमाह अधिक अंशदान	43
अवधि 1.12.2009 से 8.2.210 तक दिया गया कुल अधिक अंशदान	43X9=387

अतः निर्धारित दर से अधिक दर पर उपरोक्त कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अंशदान देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त ₹387/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खातों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

10 ₹9620/– का अनियमित भुगतान करने बारेः–

माह 5/2010 में ₹9620/– का भुगतान मै0 लवली न्यूज एजेन्सी भोटा को समाचार पत्रों की आपूर्ति के एवज में निम्नविवरणानुसार अवधि के लिए किया गयाः–

अवधि	**जितनी राशि हेतु बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया**
1.9.2005 से 31.12.2005	740
1.1.2006 से 31.12.2006	2220
1.1.2007 से 31.12.2007	2220
1.1.2008 से 31.12.2008	2220
1.1.2009 से 31.12.2009	2220
कुल राशि	**9620**

(1) उपरोक्त लम्बित भुगतान को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों–1971 के खण्ड–1 के नियम 2.25 में किये गये प्रावधान के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण न करके किया गया जिसके अभाव में दोहरे भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमानुसार औपचारिकताओं को पूरा न करके भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) समाचार पत्रों की प्राप्ति हेतु स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया है जिस के अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः समाचार पत्रों की प्राप्ति से सम्बन्धित व उन स्टॉक रजिस्टर अब तैयार किया जाए व रददी को नियमानुसार नीलामी की जाए तथा अनुपालना आगामी में दर्शाई जाए।

11 स्त्रोत पर काटे गये आयकर व बिक्री कर ₹631 को सरकारी कोष में जमा न करनाः—

वाऊचर संख्या 13, 14 व 15 माह 12/2011 के तहत निम्नलिखित कार्यो के निष्पादन पर संविदाकारों के बिलों से स्त्रोत पर काटे गये आयकर व बिक्रीकर को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों को यथाशीध्र सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग की अवगत करवाएं।

वा0सं0	कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य की लागत	बिक्री कर की राशि	आयकर पर प्रभारों की कटौती
13	Retaining wall near Sh. Sanjay Kumar House W.No. I	145851	2917	175
14	Retaining wall near Sh. Piar Chand House W.No. I	133992	2680	161
15	Retaining wall near Sh. Om Prradash House W.No. I	246151	4923	295
	योग		**10520**	**631**

12 ₹35422/— आयकर की कटौती न करनाः—

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि संविदाकरों के बिलों से आयकर की कटौती 2**%** (कुल निष्पादित कार्य की लागत का) के स्थान पर 1**%** की कटौती की गई अन्तर्गत ₹35422/— सरकारी कोष में कम जमा करवाए गए इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा स्त्रोत पर कम काटे गये आयकर की वसूली उचित स्त्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य का नाम	संविदाकार के बिल की कुल राशि	जितना आयकर काटा गया	जितना आयकर काटना था	अन्तर
1	2.7.12	Path from Govt. Primary School to Samshanghat W. No. 7	74646	746	1493	746
2	–यथोपरि–	Path from Ropri Road to from Chand House W.No. 5	39903	399	798	399
3	–यथोपरि–	Pavers to existing Path in W.No. 1 & 3 Phase-I	172974	1730	3459	1730
4	–यथोपरि–	C/O Communit Hall	296611	2966	5932	2966
5	1.5.2012	C/O Retaining wall behind Rehan Basera	37806	378	756	378
6	1.5.2012	Path from Monomi Calvert to Sh. Bakshi Ram House	111086	1111	2222	1111
7	17.7.2012	Path from Parkash Chand House to Veena Kumari House in W.No. I	53822	538	1076	538
8	–यथोपरि–	Pavers to existing Path in W.No. 5	236049	2360	4721	2360
9	–यथोपरि–	Boundary Wall in W.No. I	69207	692	1384	692
10	10/2012	Retaining Wall near Pair Chand House W.No. I	133992	1340	2680	1340
11	–यथोपरि–	Retaining wall near Sh. Sanjay Kumar House W.No. I	145851	1458	2917	1458

12	10/2012	Retaining Wall near Sh. Om Prakash House W.No. I	246151	2462	4923	2462
13	12/2012	Completion of Rehan Basera	101817	1018	2036	1018
14	–यथोपरि–	Balance work of Rehan Besra	1229091	12291	24582	12291
15	8/12	Path near Shamshanghat	151243	1512	3025	1512
16	2.7.12	C/O Community Hall in W. No.7	354855	3549	7097	3549
17	1/2013	C/O Septic Tank behind Rehan Basera	87166	872	1743	872
		Total	–	–	–	**35422**

13 रोकड़ वही का सत्यापन न करने बारेः–

रोकड़ वहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2012 से 31.3. 2013 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जो एक गम्भीर अनियमितता है जिस के परिणाम स्वरूप नगर पंचायत खातों से निधियों के दुर्विनियोजन/गबन का मामला सामने आया। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 2 (2) (ii) में यह प्रावधान किया गया है कि रोकड़ वही के प्रत्येक प्रविष्टि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी लेकिन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों को नजर अदांज करते हुए अपने कर्तव्य निभाने में असफल रहे। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62 दिनांक 3.7.2013 के द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया था व गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 10 में भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी इसके बावजूद भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

14 संविदाकारों को ₹19550/— का अधिक भुगतानः—

(क) वाऊचर संख्या 13 माह 12/2012

कार्य का नामः— C/O Retaining Wall near Sh. Sanjay Kumar House in W.No. I Bhota

संविदाकार का नामः— श्री संजय कुमार

माप पुस्तिका संख्याः— 6/2012 पृष्ठ संख्या 26 व 27

कार्य आंबटन पत्र संख्याः— 14/NP/Bhota-493-497 दिनांक 3.10.2012

उपरोक्त कार्य श्री संजय कुमार को HPSR-2009 की दरों पर 30**%** प्रीमियम लगा कर आंबटित किया गया। संविदाकार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि मद संख्या 3 सी0सी0 1:5:10 के लिए एच0पी0एस0आर0—2009 की मद संहिता संख्याः 09510000 के अनुसार दर 1994—35 प्रति घन मीटर थी जबकि इसे बिल में 2087.10 प्रति घन मीटर लगाकर इस मद की कुल 47.16 घन मीटर निष्पादित मात्रा के लिए निम्न विवरणानुसार ₹5686/— का अधिक भुगतान किया गया जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2087.10—1994.35=92.75X47.16+30**%**=5686

(ख) वाऊचर संख्या 14 माह 12/2012

कार्य का नामः— Retaining Wall near Sh. Piar Chand House W.No. I Bhota

संविदाकार का नामः— श्री सपिन्द्र कुमार

कार्य आंबटन पत्र संख्याः— 14WP/Bhota/2012-498-502 dated 3.10.2012

उपरोक्त कार्य श्री सपिन्द्र कुमार को एन0पी0एस0आर0—2009 की दरों पर 28**%** प्रीमियम लगा कर आंबटित किया गया। संविदाकार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में मद संख्या 3 सी0सी0 1:5:10 के लिए दर 2087.10 प्रति घन मीटर लगाई गई है। जो एच0पी0एस0आर0—2009 की संहिता संख्याः 09510000 के अनुसार ₹1994.35 प्रतिघन मीटर थी। इस प्रकार उपरोक्त मद के लिए अधिक दर देकर संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹4953/—का अधिक भुगतान किया गया जिस का औचित्य एच0पी0एस0आर0—2009 की दरों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से कर के नगर पंचायत खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2087.10–1994.35=92.75 मद की कुल निष्पादित मात्रा 41.72 Cum.

+28**%**=₹4953/–

वाऊचर संख्याः 15 माह 12/2012

कार्य का नामः–Retaining Wall near Sh. Om Prakash House in W.No.1 Bhota

संविदाकार का नामः–श्री नरेश कुमार

कार्य आंबटन पत्र संख्याः 14एन0पी0/भोटा 488–92 दिनांक 3.10.2012

माप पुस्तिकाः– 6/2012 पृष्ठ 29 से 31

उपरोक्त कार्य श्री नरेश कुमार को एच0पी0एस0आर0–2009 की दरो पर 34.9**%** प्रीमियम के साथ आंबटित किया गया। संविदाकार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में मद संख्या 3 सी0सी0 1:5:10 की दर ₹2087.10 प्रति घन मीटर लगाई गई जबकि एच0पी0एस0आर0–2009 की मद संहिता संख्या 09510000 के अनुसार यह दर ₹1944.35 प्रति घन मीटर थी। इस प्रकार अधिक दर लगाने के परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹8911/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खातों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

2087.10–1994.35=92.75X71.22 निष्पादित कार्य की कुल मात्रा cum+34.90**%**=₹8911/–

15 रैहन बसेरा भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति अनुदान से अधिक व्यय करने बारेः–

(क) रैहन बसेरा भवन के निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार मात्र ₹1000000/– का अनुदान प्राप्त हुआ जिस के विरूद्ध श्री राकेश परमार वार्ड नं0 1 हीरा नगर हमीरपुर को उनके चतुर्थ चलित बिल तक ₹1081757/– व श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री भलखु राम वार्ड नं0 4 हमीरपुर को वाऊचर संख्या 165 माह 1/2013 के द्वारा ₹1207904/– का भुगतान करके उपरोक्त कार्य हेतु कुल ₹2289661/– का भुगतान किया गया।

पत्र संख्या	राशि
UD (EIUS/NSDP0-H(F)-1/02-VII-4048 दिनांक 26.4.2005	₹500000
UD-H(F)(10)-2/2005-RGURF-3979 दिनांक 8.4.2009	₹500000
कुल राशि	**₹1000000**

अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा स्वीकृति अनुदान से अधिक खर्च करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनाधिकृत तरीके से अधिक किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) संविदाकार को ₹5409/– का अधिक भुगतानः–

रैहन बसेरा भवन के निर्माण कार्य का आंबटन श्री राकेश परमार वार्ड नं0–1 हीरा नगर हमीरपुर को उनकी दरो ंपर निष्पादित कार्य की कुल लागत पर ½**%** छूट के साथ किया गया था लेकिन नगर पंचायत द्वारा संविदाकार के चतुर्थ चलित बिल जिस में ₹1081757/– का भुगतान किया गया था, से नैगोसिऐटिड दर से दी गई ½**%** की छूट की वसूली न करके ₹5409/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य अनुबन्ध की शर्तों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि का समायेाजन संविदाकार द्वारा जमा करवायी गई प्रतिभूति से करके अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(ग) नगर पंचायत भोटा में रैहन बसेरा भवन के निर्माण कार्य का आंबटन श्री राकेश परमार वार्ड नं0 1 हीरा नगर हमीरपुर को कार्य आंबटन पत्र संख्या एन0पी0/1226/एन0पी0 भोटा/197–202 दिनांक 7.7.2006 के द्वारा ₹1505591/– की अनुमानित लागत पर आबंटित किया गया तथा संविदाकार द्वारा चतुर्थ चलित बिल तक ₹1081757/–का कार्य निष्पादित किया तदोपरान्त दिनांक 16.4.2010 को शपथपत्र के माध्यम से शेष कार्य पूर्ण न करने में अपनी असमर्थतता व्यक्त की। दिनांक 29.9.10 को नगर पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 31 के अनुसार निर्णय लिया गया कि संविदाकार द्वारा सावधि जमा के रूप में जमा करवायी गई प्रतिभूति की राशि को जब्त कर लिया जाए। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत को अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि अनुबन्ध पत्र में आंबटित कार्य को मझधार में छोड़ कर जाने हेतु दोषी के विरूद्ध अनुबन्ध में दी गई शर्तानुसार दण्ड के प्रावधान की कडाई से अनुपालना की जाए

तथा संविदाकार द्वारा निष्पादित कार्य में पाई गई त्रुटियों के कारण संस्था को हुई आर्थिक हानि का समायोजन सावधि जमा के रूप में रखी गई प्रतिभूति की राशियों में किया जाए।

(घ) पुनः आंबटित कार्य से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

(i) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62 दिनांक 8.7.2013 के द्वारा सचिव, नगर पंचायत भोटा से रैहन बसेरा भवन के शेष कार्य हेतु प्राप्त संविदाऐं, DNIT व तुलनात्मक विवरणी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उपरोक्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जिसके अभाव में वाऊचर संख्या 165 दिनांक 1/2013 के द्वारा श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री भलखु राम, हमीरपुर को ₹1207904/– के भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि रैहन बसेरा भवन के शेष कार्य हेतु की गई औपचारिकताओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सत्यापना हेतु अगले अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

(ii) दिनांक 29.7.2010 को नगर पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 31 के द्वारा रैहन बसेरे का शेष कार्य के लिए पुनः टैण्डर बुलाने का निर्णय लिया गया। शेष कार्य का आंबटन श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री भलखु राम वार्ड नं0 4 हमीरपुर को पत्र संख्या 14 एन0पी0/भोटा/300–304 दिनांक 2.7.2012 के द्वारा ₹686438/–की अनुमानित लागत पर आंबटित किया गया जिस में वाटर सप्लाई व सेनिटरी इनस्टालेशन का कार्य सम्मिलित नहीं था लेकिन वाऊचर संख्या 165 माह 1/2013 का अवलोकन करने पर पाया गया कि भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में Civil Work के साथ वाटर सप्लाई व सेनिटरी इनसटालेशन का कार्य करवाया गया जिसके विरूद्ध संविदाकार को उपरोक्त वाऊचर के द्वारा ₹1207904/– का भुगतान किया गया। अतः उक्त कार्य आंबटन पत्र में दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त बिना टैण्डर के वाटर सप्लाई व सेनिटरी इनस्टालेशन का कार्य आंबटित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस प्रकार अनाधिकृत तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

16 सरकारी अनुदान राशि का व्यय न करनाः–

निदेशक, शहरी विकास, शिमला से उनके पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(एफ) 19/86–9314, दिनांक 31.8.2009 व समसंख्या पत्र 932 दिनांक 15.1.2011 के अनुसार क्रमशः ₹550000/– व ₹200000/– का अनुदान नगर पंचायत के सफाई कार्य में उपयोग हेतु टिप्पर खरीदने के लिए प्राप्त हुआ था। लेकिन 31.3.2013 तक न तो नगर पंचायत द्वारा वाहन खरीदा गया और न ही प्राप्त अनुदान को वापिस किया गया जो बिना उपयोग के नगर पंचायत बचत खातों में जमा है। यदि समय पर टिप्पर खरीद लिया होता तो सफाई का कार्य जो ठेकेदारों से करवाया जाता है, के खर्च को कुछ हद तक कम किया जा सकता था। सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को समयवध व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अप्रयुक्त राशि को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार वाहन की खरीद की जाए अन्यथा अनुदान के रूप में प्राप्त उक्त राशि सरकार को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नियमित रूप से न किया जानाः–

अभिलेख की जॉच पाया गया कि क्रय की गई स्टेशनरीज (रसीद बुक्स व अन्य स्टेशनरीज) को स्टॉक रजिस्टर पर प्रविष्टि नहीं किया गया था। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी स्टेशनरीज क्रय की गई थी, कितनी स्टेशनरीज की खपत की गई थी तथा एक अवधि विशेष के अन्त में कुल कितनी मात्रा स्टॉक में शेष थी।

अतः स्टेशनरीज के लिये स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से स्टेशनरीज/सभी क्रय की गई वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18 बिजली खपतकर की वसूली न करने बारेः–

(i) नगर क्षेत्र में उपयोग की गई बिजली से सम्बन्धित माह 2/2011 के पश्चात की अवधि के लिए कोई भी राशि बिजली खपत कर के रूप बिजली बोर्ड से समयानुसार प्राप्त नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व बिजली खपत कर की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा बिजली बिलों के लेखांकन हेतु रजिस्टर तैयार नहीं किया है जिस के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि बिजली बोर्ड द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में दर्शायी गई पुरानी व नयी मीटर रींडिग सही थी या नहीं। अतः परामर्श दिया जाता है कि बिजली बिलों के लेखांकन हेतु रजिस्टर तैयार किया जाए।

19 पशुवध शुल्क की वसूली न करनाः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान पशुवध शुल्क के रूप में कोई आय प्राप्त नहीं की गई जबकि बिक्री हेतु काटे गये पशुओं की जांच के लिए नगर पंचायत द्वारा पशुचिकित्सक को ₹250/— प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। पशु शुल्क वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

20 नगर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के लिए जारी बिजली के सामान का लेखा न रखने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नगरक्षेत्र में स्थापित बिजली पोस्टों के रख—रखाव के लिए नगर पंचायत स्टोर से जारी बिजली के सामान समय—समय में जारी किया जाता है लेकिन इनका कोई रख रखाव/हिसाब नहीं रखा जाता और न ही पोस्ट वार खराब हुए बिजली के सामान को बदलने के लिए मांग पत्र प्राप्त किये जाते है जिस के अभाव में स्टोर से जारी सामान की खपत की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त अभिलेख के उपलब्ध न होने पर स्टोर से जारी बिजली के सामान का दुरूपयोग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है और इसका रख—रखाव नियमानुसार सही ढ़ंग से किया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

21 ₹5590/— ब्याज की आय के रूप में वित्तीय हानिः—

एफ0डी0आर0 की जॉच पर पाया गया कि दिनांक 6.9.07 को ₹39345/— की राशि 8**%** ब्याज की दर पर तीन वर्षों के लिये पंजाब नैशनल बैंक भोटा मे ंनिवेशित की गई थी जिसका परिपक्वता मूल्य ₹44309/— था जबकि 8**%** ब्याज की दर से परिपक्वता राशि ₹49899/— बनती है। इस प्रकार ₹5590/— (49899—44309) बैंक द्वारा ब्याज के रूप में कम दिये परिणाम स्वरूप नगर पंचायत को ₹5590/— की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः इस

मामले को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाये। नगर पंचायत प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि दिनांक 6.9.07 से पूर्व समस्त एफ0डी0आर0 में निवेश की गई राशियों पर दिये गये ब्याज की गणना आन्तरिक स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाये।

22 सरकारी अनुदानः—

नगर पंचायत भोटा द्वारा अवधि 1.4.2010 से 31.'3.2013 तक व इस अवधि से पूर्व विभिन्न (Funding Agencies) अनुदान दाताओं से प्राप्त राशियों जिनका विस्तृत विवरण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट (ञ)** में दिया गया है, को समयबद्ध तरीके से खर्च नहीं किया है। अतः ₹2151024/— को राशियों अनुपयुक्त थी इन अनुदान की राशियों को स्वीकृत पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार समयबध खर्च न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशियों को नियमानुसार अविलम्ब व्यय किये जाने बारे ठोस पग उठाये जाये अन्यथा अनुपयुक्त अनुदान राशियों का प्रत्यर्पण किया जाए।

23 **निष्कर्ष :—** लेखाओं के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-76/83—खण्ड—1—8409—10 दिनांक, 21.12.2013 शिमला—171009.

प्रतिलिपि प्रेषित :—

(i) सचिव, नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

(ii) निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को सूचनार्थ ।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट (ट) पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 5/82 से 3/90

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95 तक

1	पैरा–10 (8)	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2003 तक

1	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(च)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(ण)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत

9	पैरा 11(ठ)	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007 तक

1	पैरा 2(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 3	अनिर्णीत
3	पैरा 4(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(v)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत
8	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(x)(c)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(xiii)	अनिर्णीत

14	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत
19	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
20	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
21	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
22	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
23	पैरा 6(iii)(a)	अनिर्णीत
24	पैरा 6(iii)(b)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(iii)(c)	अनिर्णीत
26	पैरा 6(v)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
28	पैरा 6(vii)(a)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(vii)(b)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(vii)(c)	अनिर्णीत
31	पैरा 6(vii)(d)	अनिर्णीत

32	पैरा 6(vii)(e)	अनिर्णीत
33	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत
34	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत
35	पैरा 6(x)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
37	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 7(i)(a)	अनिर्णीत
39	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
43	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
44	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत
45	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत
46	पैरा 7(ix)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 तक

1	पैरा 5 (क)	स्वतः निर्णीत	
2	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या (6 व 7) में दी गई है
7	पैरा 9	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा 10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
9	पैरा 11	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10	पैरा 12	निर्णीत	(–यथोपरि–)
11	पैरा 13	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
15	पैरा 17	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
16	पैरा 18	अनिर्णीत	
17	पैरा 19 (1)	अनिर्णीत	

18	पैरा 19 (2)	अनिर्णीत	
19	पैरा 19 (3)	अनिर्णीत	
20	पैरा 19 (4)	अनिर्णीत	
21	पैरा 19 (5)	अनिर्णीत	
22	पैरा 19 (6)	अनिर्णीत	
23	पैरा 20 (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा 20 (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा 21	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
26	पैरा 22 (1)	अनिर्णीत	
27	पैरा 22 (2)	अनिर्णीत	
28	पैरा 22 (3)	अनिर्णीत	
29	पैरा 23	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 19 में दी गई है)
30	पैरा 24	अनिर्णीत	